

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प सांतेर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 467/2021

-:आदेश:-

दिनांक 25/12/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत सांतेर व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सांतेर पटवार मण्डल सांतेर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 88, 256, 254 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सांतेर	88, 256, 254	कैलाश प्रकाशचंद्र पुत्र चन्दु, जीवणी पत्नी चन्दु सुमित्रा पुत्री चन्दु	कैलाश प्रकाशवीर पुत्र चन्दगीराम, सुमित्रा पुत्री चन्दगीराम, जीवणी पत्नी चन्दगीराम

नोट - रहन पडि केरी ही ली निवधि। शोध की पालना रहनसुष्ट के पश्चात

क्रमांक :- राजस्व / 2021 / 167-168
प्रतिलिपि :-

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
दिनांक :- 25/12/21

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी प्रकाशवीर पुत्र चन्दगीराम अहीर निवासी सांतेर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुझुनू (राज0)

